झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष – 0651–2400757, ईमेल – swdjharkhand@gmail.com

आदेश

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या–61(13) दिनांक–16.03.2020 द्वारा COVID–19 को Epidemic Disease अधिसूचित किये जाने के फलस्वरुप उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए निम्नांकित आदेश दिए जाते है :–

1. राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा (Pre School Education) को तत्काल प्रभाव से दिनांक–14.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।
2. सभी लाभुक वर्ग यथा – 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, धात्री महिलाएँ एवं SAM बच्चों को पूरक पोषाहार (Supplementary Nutrition) उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जायेगा कि विशेषकर वृद्धजन एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यथा संभव घर से बाहर न निकले।
4. आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सभी लाभुक एवं उनके परिजनों को प्रेरित किया जायेगा कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तथा समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोये।
5. आंगनबाड़ी कर्मी सुनिश्चित करें कि टीकाकरण का कार्य जारी रहे।
6. यदि किसी लाभुक अथवा उनके परिवार के लोगों को खांसी/बुखार/सांस लेने में कठिनाई हो तो आंगनबाड़ी कर्मी संबंधित स्वास्थ्य कर्मी/स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब सूचित करें।
7. यदि लाभुक का कोई परिजन हाल के दिनों में विदेश से आया हो तो आंगनबाड़ी कर्मी इसकी सूचना भी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी/स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब दें।
8. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा COVID-19 के संबंध में निर्गत सभी दिशा निर्देशों का सभी आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा।
9. उपरोक्त सभी कार्यो में पोषण सखी द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों को सभी अपेक्षित सहयोग किया जायेगा।

21/03/20

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05/म0स0–विविध–408/2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड/उप सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

21/03/20

सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05/म0स0–विविध–408/2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/20

सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05/म0स0–विविध–408/2016– 523 राँची, दिनांक – 21/03/2020

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

21/03/20

सरकार के सचिव